फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :– / गिरधारी बनाम सोना देवी पत्नी वगैरह

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/5/25		
	11/6/25	व.का. उप./ साक्ष्यवादी हेतु प्रकरण न्यायालय के संकलन अवकाश दिया जाता है आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं करने की स्थिति में साक्ष्यवादी का अवसर खत्म कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 26/6/25 को पेश हो [signature]	
	26/6/25		
	16/7/25	व.का. उप. साक्ष्यवादी हेतु [illegible] दिनांक 31/7/25 को पेश हो।	
	31/7/25	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 14/8/25 को पेश हो। [signature]	
	14/8/25	व.क. उप. / साक्ष्यवादी / जिरह हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य / जिरह दिनांक / पुनश्चय वादी अधिवक्ता की ओर साक्ष्य पेश	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर प्रा...

गिरधारी बनाम रामा इत्यादि

मुकदमा नम्बर :- 57/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		नहीं रखना चाहते हैं। बहस उभयपक्ष के अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली व इस्तगासा का अवलोकन किया गया। वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।
		हस्ताक्षर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–57 / 2022

उनवान

1. गिरधारी पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. गोधाराम पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. सीताराम पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. पतासी देवी पुत्री श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. माया देवी पुत्री श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. रामेश्वर पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये उप–तहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़, उप–तहसील गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. सांवरमल पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद, तहसील चौगूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :–14.08.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम निन्दौला, तहसील चौमूँ, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू, अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली, जिला जयपुर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित हाल खाता संख्या 290 के हाल खसरा नम्बर 6937 रकबा 0.24 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर, एवं हाल खाता संख्या 291 के हाल आराजी खसा नम्बर 6939 रकबा 0.44 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त

Scanned with OKEN Scanner

यात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं, उक्त आराजीयात की वाद पत्र की अग्रिम मदों भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया हैं। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 के साथ शामलाती रूप से काबिज काश्त होकर अपने हिस्से का उपयोग–उपभोग कर रहे हैं, तथा अपनी भूमि में काश्त कर उपजों को प्राप्त कर लाभ उठाते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विवादित भूमि के चारो और पुख्ता तार बाउण्ड्री कर अपनी सीमा को महदूद कर रखी हैं। उक्त भूमि विवादग्रस्त में वादीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, उक्त भूमि विवादग्रस्त में से खसरा नम्बर 6937 के पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादीया संख्या 1 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 6936 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6940 रकबा 0.1100 हैक्टेयर तथा दक्षिणी दिशा की ओर प्रतिवादीया संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6938 रकबा 0.4200 हैक्टेयर तथा विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6939 के पूर्वी दिशा की ओर प्रतिवादीया संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 6941 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 6938 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, उत्तरी दिशा की ओर खसरा नम्बर 6940 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 की सींव जोड पडौसी खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि विवादग्रस्त से कोई लेना–देना, हक सम्बन्ध, वास्ता अथवा सरोकार नहीं हैं, वह मात्र वादीगण की भूमि विवादग्रस्त की सीवंजोड पडौसी खातेदार हैं तथा पड़ौसी काश्तकार होने का नाजायज फायदा उठा कर वादीगण की भूमि विवादग्रस्त को हड़पना चाहती हैं तथा आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाज़ी विधि विरूद्ध रूप से कर जबरिया अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करती रहंती हैं। वादीगण ने मौके पर अपनी आराजीयात में फसल काश्त कर रखी हैं, किन्तु प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा आये दिन वादीगण की भूमि की सींव को तोड़कर वादीगण की काश्त की हुई फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश करती रहती हैं, तथा वादीगण की विवादग्रस्त भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की कोशिश करती हैं, तथा भूमि में खड्डे नींव आदि खोदने की कोशिश करती हैं तथा भूमि में जबरिया पुख्ता निर्माण कार्य करने पर आमदा हो रही हैं, वादीगण की सींव को तोड़ कर भूमि को जबरिया अपनी भूमि में मिलाने की कोशिश करती हैं तथा अपने पशुओं को वादीगण की भूमि विवादग्रस्त में जबरिया घुसाकर वादीगण की फसल को नष्ट भ्रष्ट करवाती रहती हैं, तथा विवादग्रस्त भूमि के चारों ओर कायम की हुई वादीगण की सीमाओं व तारबन्दी में तोड फोड करते रहते हैं तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादीया संख्या 1 की उक्त विधि विरूद्ध हकरतों का विरोध करने पर उक्त प्रतिवादीया संख्या 1 लड़ाई झगडा करने पर आमदा हो जाती हैं। दिनांक 21–06–2022 को प्रतिवादीया संख्या 1 दीगर अजनबी व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आयी तथा वादीगण की भूमि की सींव को नष्ट भ्रष्ट करने लगी, तथा भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलाने लगी, तथा भूमि में नींव खोद

mm

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण कार्य भूमि की सींव पर करने लगी, तथा जब वादीगण द्वारा मना किया गया तो प्रतीगण को गाली–गलौच की तथा वादीगण को धमकी दी कि वह भूमि विवादग्रस्त में सींव डोल को तोड़कर भूमि विवादग्रस्त पर जबरिया कब्जा कर भूमि को अपनी भूमि में मिलाकर रहेगी तथा नींव खोद कर निर्माण कार्य करेगी, तथा वादीगण की काश्त की हुई फसल में अपने जानवरों को घुसा कर फसल को नष्ट भ्रष्ट करके रहेगी, जिस पर वादीगण द्वारा प्रवितादीगण संख्या 2 व 3 से व्यक्तिःशय सम्पर्क कर प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा किये जा रहे अवैध कृत्य को रोकने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा वादीगण को कोई सन्तुष्टिप्रद जवाब नहीं देकर डरा धमका कर भगा दिया गया। इसलिये वादीगण को यह वाद पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का मय हर्जा व खर्चा के डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात के कब्जे काश्त में, उपयोग–उपभोग में, उपजों को प्राप्त करने में कोई दखलन्दाजी, बाधा, मजाहमत या मदाहखलत पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींवडोल में तोड़ फोड़ करें, ना ही वादीगण की भूमि में जबरिया प्रवेश करें, ना ही कब्जा करने की कोशिश करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव में तोड़ फोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलावे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में खड्डे, नींव आदि खोद कर कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य करें, तथा ना ही वादीगण की काश्त की हुई फसल में अपने जानवरों को घुसा कर फसल को नष्ट भ्रष्ट करवाये, ना ही भूमि विवादग्रस्त में खड्डे आदि खोदे, ना ही भूमि विवादग्रस्त की तारबन्दी को तोडे, तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भूमि विवादग्रस्त बाबत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होने देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेंन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, परिवारजन आदि के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा उक्त उनवानी वाद पत्र मिन जवाबदाता को हैरान परेशान करने की गरज से तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है जिस कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 आये दिन प्रतिवादीया संख्या 1 के भूमि आराजी खसरा नम्बर 6938 के उत्तरी पूर्वी कोने पर आन जान के रास्ते को अवरूद्ध कर प्रतिवादीया संख्या 1 की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते रहते है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6938 को अपनी खातेदारी भूमि में मिलाकर हडप कर जाना चाहते है तथा मिन जवाबदाता प्रतिवादीया संख्या 1 को हैरान

mnj

Scanned with OKEN Scanner

न करने की गरज से उक्त वाद पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य वादीगण को वाद पत्र में वर्णितानुसार कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है, वादीगण का वाद पत्र, वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादीगण का वाद स्थाई निषाधाज्ञा का है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम निन्दौला, तहसील चौमूँ, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू, अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली, जिला जयपुर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित हाल खाता संख्या 290 के हाल खसरा नम्बर 6937 रकबा 0.24 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर, एवं हाल खाता संख्या 291 के हाल आराजी खसा नम्बर 6939 रकबा 0.44 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0 / मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–57 / 2022

उनवान

1. गिरधारी पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. गोधाराम पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. सीताराम पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. पतासी देवी पुत्री श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. माया देवी पुत्री श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. रामेश्वर पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये उप–तहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़, उप–तहसील गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. सांवरमल पुत्र श्री मंशा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोद, तहसील चौगूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं0:–57 / 2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रार्थी के

Scanned with OKEN Scanner

न पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। य ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 14.08.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

Scanned with OKEN Scanner